राजीव कृष्णा,
आई.पी.एस.

डीजी परिपत्र संख्या-11/2026
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक:लखनऊ:फरवरी 14 ,2026

विषय: क्रिमिनल अपील संख्या-1255/1999 पी0यू0सी0एल0 बनाम महाराष्ट्र राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.09.2014 तथा क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थनापत्र सं0. 45637/2025 राजू उर्फ राजकुमार बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के अनुपालन में पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की मृत्यु अथवा गम्भीर उपहति (grievous hurt) होने की दशा में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थनापत्र सं0. 45637/2025 राजू उर्फ राजकुमार बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील संख्या-1255/1999 पी0यू0सी0एल0 बनाम महाराष्ट्र राज्य में पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों की मृत्यु/गम्भीर उपहति होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

2- क्रिमिनल अपील संख्या-1255/1999 पी0यू0सी0एल0 बनाम महाराष्ट्र राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 23.09.2014 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इस मुख्यालय स्तर से **डीजी परिपत्र संख्या-22/2017** दिनांकित 01.08.2017 तथा डीजी परिपत्र संख्या-40/2024 दिनांकित 11.10.2024 पूर्व में निर्गत किये गये हैं।

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांकित 30.01.2026 के प्रस्तर-13 में विशिष्ट रूप से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त को आग्नेय अस्त्र से गम्भीर उपहति होने की दशा में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> 13. In view of above, it is clear that there is no exception to follow the guidelines issued by the Apex Court in PUCL's case (supra) regarding police encounter when death or grievous injuries occurred though extensive guidelines have been mentioned in the aforementioned paragraphs of PUCL's case (supra). As the present and connected cases are relating to grievous injury to accused in police encounter, this Court summarily prescribes the guidelines in the case of grievous injury to the accused in police encounter, which are as follows;
>
> i. If in pursuance to any information, police party reached at the spot and encounter takes place wherein fire arm is used by the police party and as a result accused or any other person received grievous injury then an FIR to that effect shall be registered by the head of the police party involved in the police encounter in the same police station or adjoining police station but investigation of said FIR shall be conducted by CBCID or police team of any other police station under the supervision of senior police officer at least one level above the head of police party engaged in the police encounter.
>
> ii. In the FIR, name of the members of police party involved in encounter is not required to be mentioned in the category of accused/suspect but only the team whether STF or regular police could be mentioned.

.....2

iii. Injured criminal/victim should be provided medical aid and his/her injury should be examined and thereafter his/her statement should be recorded either by the Magistrate or Medical Officer with certificate of fitness of injured.

iv. After complete investigation into incident of police encounter, report should be sent to the competent court who will follow the procedure as mentioned in the judgement given by the Apex Court in PUCL's case (supra).

v. Out of turn promotion or gallantry award shall not be given to the officer of the police party soon after occurrence of police encounter. It must be ensured that such reward are given or recommended only when gallantry reward of person is established beyond doubt by a committee constituted by the police head.

vi. If the family of the injured in police encounter finds that the above procedure has not been followed or there exists lack of independent investigation or pattern of abuse or impartiality by any of the functionaries then he may make a complaint to the Sessions Judge having territorial jurisdiction over the place of incident of police encounter. Upon receiving the said complaint, the concerned Sessions Judge shall look into the merit of the complaint and redress the grievance raised therein.

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कार्यवाही/गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त की मृत्यु अथवा गम्भीर उपहति होने की दशा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-1255/1999 पी0यू0सी0एल0 बनाम महाराष्ट्र राज्य में दिये गये निर्देशों एवं तत्क्रम में निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-17/2022 एवं 40/2024 तथा अभियुक्त को गम्भीर उपहति होने की दशा में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4-पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षिक, उत्तर प्रदेश।
6-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।